www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 05.01.2017

सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में बी.एस.एन.एल. के उप-प्रभागीय अधिकारी को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 10,000/- रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने पर भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.), अहमदनगर (महाराष्ट्र) के उप-प्रभागीय अधिकारी को गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत उप-प्रभागीय अधिकारी, बी.एस.एन.एल., अहमदनगर के विरूद्ध एक शिकायत के आधार पर दिनांक 03.01.2017 को मामला दर्ज हुआ। ऐसा आरोप था कि उप-प्रभागीय अधिकारी, बी.एस.एन.एल., अहमदनगर ने शिकायतकर्ता से आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के उसके ठेका कार्य के सन्दर्भ में एक लाख रू. की घूस की माँग की। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं उप-प्रभागीय अधिकारी, बी.एस.एन.एल., अहमदनगर को पहली किस्त के तौर पर शिकायतकर्ता से 10000/-रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों से तलाशी की गयी जिसमें जिसमें अचल सम्पत्तियों, निवेशों आदि सहित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

आरोपी को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, अहमदनगर के समक्ष दिनांक 04.01.2017 को पेश किया गया एवं एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

****